

Filling no. RCS-A/13/2018

// 1//

सिविल वाद क्रमांक 03 ए/2018

**न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)**

Filling no. RCS-A/13/2018

CNR no. MP30010000252018

सिविल वाद क्रमांक 03 ए/2018

संस्थित दिनांक :-03/01/2018

रामौतार पुत्र श्यामलाल, उम्र-56 वर्ष,
निवासी-ग्राम अकोड़ा, तहसील व
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....आवेदक/वादी

//बनाम//

1. लालकिशनु पुत्र श्यामलाल, उम्र-62 वर्ष,
निवासी-ग्राम अकोड़ा, तहसील व
जिला-भिण्ड (म0प्र0)
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....असल अनावेदक/प्रतिवादी

.....तरतीबी प्रतिवादी

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा।
प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री सुभाष गुप्ता अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 2 अनिर्वाहित।

//आदेश//

(आज दिनांक **12.05.2018** को घोषित)

1. इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/18 का निराकरण किया जा रहा है।
2. इस मामले में ग्राम अकोड़ा, परगना व जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5294, 5296, 5305, 5311, 5319, 5323 व 5327 (एतस्मिन् पश्चात् **“विवादित भूमियाँ”** से निर्दिष्ट) के 1/2 भाग पर वादी के पक्ष में स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।
3. आवेदन संक्षेप में यह है कि वादी व प्रतिवादी सगे भाई हैं, ग्राम अकोड़ा में संयुक्त परिवार की कृषि भूमियाँ थीं जिन पर खेती से प्राप्त आय द्वारा विवादित भूमियाँ क्रय की गयी हैं और संयुक्त परिवार की आय से क्रय विवादित भूमियों में

वादी का 1/2 भाग पर स्वत्व है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने चतुराई से विवादित भूमियों का बयनामा अकेले अपने नाम पर निष्पादित करा लिया जबकि वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने-अपने हिस्से 1/2-1/2 भाग पर घरेलू बंटवारा के अनुसार काबिज हैं, बयनामा की तारीख से ही अपने-अपने हिस्से पर खेती कर रहे हैं और मौके पर पृथक-पृथक मेड़ व सीमा चिन्ह भी बने हुये हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर विवादित भूमियों का बयनामा होने से प्रतिवादी क्रमांक 1 वादी के कब्जे व विवादित भूमि पर वादी के खेती करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, दिनांक 02.08.2016 को प्रतिवादी क्रमांक 1 व उसके पुत्र ने मौके पर आकर वादी को खेतों की जुताई करने से रोका और झगड़ा करने लगे। गांव के लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने पर उस समय तो मान गये परन्तु बाद में दिनांक 31.08.2016 को दोबारा धमकी दी कि वादी को खेती नहीं करने देंगे। इस पर वादी ने एस0डी0एम0 भिण्ड के समक्ष धारा 145 द0प्र0सं0 का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जांच प्रतिवेदन में भी 1/2 भाग पर वादी का कब्जा पाया गया और एस0डी0एम0 न्यायालय से वादी के पक्ष में पारित आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा योजित रिवीजन प्रकरण क्रमांक 4/17 भी आदेश दिनांक 07.03.2017 से निरस्त की जा चुकी है। इसके बाद दिनांक 10.11.2017 को पुनः प्रतिवादी क्रमांक 1 ने धमकी दी कि वह विवादित भूमि किसी शक्तिशाली व्यक्ति को विक्रय कर देगा और उक्त तथ्यों के आधार पर सिविल वाद संस्थित किया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, यदि वाद के लम्बन के दौरान विवादित भूमि पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप किया गया या विवादित भूमि विक्रय कर दी गयी तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाये कि वह विवादित भूमि के 1/2 भाग पर वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न करे और वाद के लम्बनकाल तक विक्रय न करे।

4. प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब यह है कि वादी व प्रतिवादी क्रमांक 1 का संयुक्त परिवार नहीं रहा है और संयुक्त परिवार की कृषि भूमियाँ आय का साधन भी नहीं रही हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 शिक्षक रहा है, वेतन से प्राप्त आय द्वारा विवादित भूमियाँ क़य की गयी हैं और विवादित भूमियाँ प्रतिवादी क्रमांक 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति हैं जिसके किसी भी भाग पर वादी का कोई स्वत्व नहीं है। विवादित भूमियों के किसी भी भाग पर वादी ने कभी खेती नहीं की है, बयनामा दिनांक से वादी का कब्जा होने का तथ्य गलत है और विवादित भूमियों के संबंध में बंटवारा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। राजस्व अभिलेखों में भी कभी भी वादी का स्वत्व या कब्जा नहीं लिखा गया है, दिनांक 02.08.2016 या दिनांक 31.08.2016 की घटना मनगढ़ंत है, एस0डी0एम0 भिण्ड के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा संस्थित रिवीजन गुणदोष पर निराकृत नहीं की गई है और वादी ने कल्पनात्मक तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। वादी के पक्ष में कोई मामला नहीं है, विवादित भूमियों से वादी का कोई संबंध नहीं है, विवादित भूमियों पर वादी का कब्जा भी नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाये।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-

1. क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 :-**

6. वादी का अभिवचन है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के संयुक्त परिवार की ग्राम अकोड़ा स्थित कृषि भूमियों की आय से विवादित भूमियां क्रय की गई हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता का बलपूर्वक तर्क है कि संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई भूमियों के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने की उपधारणा है और इस उपधारणा के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है।

7. संयुक्त परिवार के अस्तित्व में रहते हुये क्रय या अर्जित की गई भूमियों को उसी दशा में संयुक्त परिवार की भूमियां माना जा सकता है, जबकि प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट हो कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के संयुक्त परिवार की आय का एक कोष था और यह कोष विवादित भूमियों के अर्जन के लिये समुचित व पर्याप्त था।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने D.S. Lakshmaiah v. L. Balasubramanyam AIR 2003 S.C. 3800 : 2003AIR SCW 4347 के मामले में यह अवधारित किया है कि There is no presumption of a property being joint family property only on account of existence of a joint Hindu family. The one who asserts has to prove that the property is a joint family property. If, however, the person so asserting proves that there was nucleus with which the joint family property could be acquired, there would be presumption of the property being joint and the onus would shift on the person who claims it to be self-acquired property to prove that he purchased the property with his own funds and not out of joint family nucleus that was available.

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य न्यायदृष्टान्त Appasaheb Peerappa Chamdgaade V. Devendra Peerappa Chamdgaade and others (2007) 1 SCC 521 में यह अवधारित किया है कि "Therefore, on survey of the aforesaid decisions what emerges is that there is no presumption of a joint Hindu family but on the evidence if it is established that the property was joint Hindu family property and the other properties were acquired out of that nucleus, if the initial burden is discharged by the person who claims joint Hindu family, then the burden shifts to

the party alleging self-acquisition to establish affirmatively that the property was acquired without the aid of the joint family property by cogent and necessary evidence."

10. उक्त विधिक स्थिति के आधार पर इस मामले के तथ्यों पर विचार किया जाये तो वादी को यह दर्शित करना है कि ग्राम अकोड़ा की कृषि भूमियों से प्राप्त आय से गठित कोष विवादित भूमियों के अर्जन हेतु पर्याप्त था। इस मामले में सम्पूर्ण वादपत्र में इस सुसंगत तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि ग्राम अकोड़ा में संयुक्त परिवार के स्वत्व की कौन-कौन सी भूमियां या सर्वे नंबर थे, उन भूमियों से कितनी आय थी और आय गठित कोष या न्यूक्लियस विवादित भूमियों को अर्जित करने के लिये पर्याप्त था या नहीं। इसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्पष्ट अभिवचन है कि उसने शिक्षक के रूप में प्राप्त वेतन से विवादित भूमियां क्रय की है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम ही क्रेता के रूप में लेख है।

11. वादपत्र में यह अभिवचन भी है कि विवादित भूमियों को क्रय किये जाने के बाद से ही 1/2 भाग पर वादी का कब्जा है, किन्तु इस सुसंगत तथ्य का उल्लेख नहीं है कि किन सर्वे नम्बरों पर या किस सर्वे नम्बर में किस विनिर्दिष्ट भाग पर या किस दिशा में वादी का एकल या अनन्य कब्जा है और किसी भी राजस्व अभिलेख में वादी के कब्जे की प्रविष्टि भी नहीं है। वादी का यह अभिवचन अवश्य है कि राजस्व न्यायालय में धारा 145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में विवादित भूमियों के आधे भाग पर वादी का कब्जा होना लिखा गया है, किन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज या जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में नहीं है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में क्रेता के रूप में प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम लेख है और किसी विनिर्दिष्ट भाग पर वादी का अनन्य कब्जा प्रकट नहीं होने से सुविधा का संतुलन या अपूर्णनीय क्षति भी वादी के पक्ष में नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई0ए0 नंबर 1/18 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग-2 भिण्ड
(म0प्र0)